

बउनवानी:- 1. श्रीदास पुत्र जगदीश मीना निवासी डेकवा तहसील सवाईमाधोपुर

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर
2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये परियोजना निदेशक परियोजना कियान्चयन, ईकाई कार्यालय पटेल नगर, अनाज मण्डी रोड सवाईमाधोपुर,

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,64 राईटू फेयर कम्पेशशन एण्ड ट्रांसपेरेंसी इन लेण्ड एक्यूजेशन रिहेबिलिटेशन एण्ड दी सेटलमेंट एक्ट,2013 बाबत एन.एच.148 एन. के तहत ग्राम डेकवा तहसील सवाईमाधोपुर की अवाप्तशुद्धा भूमि खसरा नम्बर 199,200 कुल रकबा 1.91 है0 का अवार्ड देने बाबत।

उपस्थित:-1. श्री हरकेश मीना
2. श्री दीपक शर्मा

वकील प्रार्थी
वकील अप्रार्थी 2

-: निर्णय :-

दिनांक:- 19.10.2023

प्रार्थी द्वारा यह अन्तर्गत धारा,64 राईटू फेयर कम्पेशशन एण्ड ट्रांसपेरेंसी इन लेण्ड एक्यूजेशन रिहेबिलिटेशन एण्ड दी सेटलमेंट एक्ट,2013 बाबत एन.एच.148 एन. के ग्राम डेकवा तहसील सवाईमाधोपुर की अवाप्तशुद्धा भूमि खसरा नम्बर 199,200 कुल रकबा 1.91 है0 का अवार्ड देने बाबत जारी नोटिस क्रमांक भूमि अवाप्ति/पीए/भू0अवा./संरचना/2020/385 दिनांक 27.08.2020 को निरस्त करवाने बाबत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया साथ ही विपक्षीयों की भी तलवी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन.के. (दिल्ली-बडौदरा एक्सप्रेस वे के 236 से 304 किमी निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या क.अ. 2306 (अ)दिनांक 6.6.2018 द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को भूमि अवाप्ति अधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया था। दिनांक 4.1.2019 को धारा 3डी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के अन्तर्गत एक अधिसूचना जारी की गयी जिसके द्वारा प्रार्थी की भूमि ख0न0 199 रकबा 0.93 है0 व ख0न0 200 रकबा 0.98 है0 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 1.91 है हनुमान पुत्र मोती हिस्सा 1/18, सूरजमल पुत्र जयकिशन हिस्सा 1/6,रूपनारायण पुत्र मोती, रामकन्या बेवा मोती हिस्सा 1/9, हीरा पुत्र जयकिशन हिस्सा 1/6,कन्हैया,प्रहलाद,जगदीश पिसरान गंगाराम मीना द्वारा अपने हिस्से 3/6 भाग की रजिस्ट्री प्रार्थी के हक में दिनांक 29.6.2020 को की गयी है जिससे उक्त भूमि का अब प्रार्थी ही खातेदार है एवं उक्त भूमि एवं उस पर लगे हुए 228 अमरूद के पौधों का अवार्ड हनुमान पुत्र मोती को दिया गया है जबकि ख0न0 199 व 200 मे से हनुमान पुत्र मोती के हिस्से की एन.एच.148 के निर्माण मे कोई जमीन नहीं गयी है इसके बावजूद भी हनुमान पुत्र मोती को मुआवजा बाबत नोटिस जारी किया है। उक्त ख0न0 की भूमि एवं पौधों का अवार्ड प्रार्थी के नाम करवाने बाबत प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को आपत्ति दर्ज करा दी गयी है लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा किसी भी तरह की कोई सुनवायी नहीं की गयी है। अतः उक्तानुसार मुआवजा प्रार्थी को दिलवाये जाने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया।


.....(1).....



(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के प्रावधान के अनुसार सवाईमाधोपुर जिले में ए.एच.148एन के कि.मी. 236 से कि.मी.304.4 तक के निर्माण (चौडीकरण/ पेड्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचलन के लोक प्रयोजन के लिये भूमि अवाप्ति की कार्यवाही हेतु अवाप्ति अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 की धारा 3 के खण्ड (क) के अन्तर्गत सड़क एवं परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.2306(अ) दिनांक 5.6.2018 द्वारा नियुक्त किया गया है तत्पश्चात राजमार्ग के प्रावधान 3(ए) की अधिसूचना दिनांक 21.8.2018 को अधिसूचना जारी की गयी जिसका प्रकाशन भारत के राजपत्र में दिनांक 23.8.2018 को प्रकाशित किया गया। दो समाचार पत्र "दैनिक भास्कर" एवं "राजस्थान पत्रिका" में दिनांक 8.9.2018 को किया गया। उक्त अधिनियम की धारा 3 ए के नोटिफिकेशन जारी होने के 21 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति की सुनवायी सक्षम अधिकारी कर सकता है। जिसके परिप्रेक्ष्य में जो आपत्तियाँ प्रस्तुत की गयी उनका धारा 3 सी के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निस्तारण किया जाता है। उसके पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा 3डी की उपधारा 1 के अन्तर्गत अवाप्त की जाने वाली भूमि की अधिसूचना जारी करने हेतु रिपोर्ट भेजी गयी जिसके आधार पर दिनांक 4.1.2019 को धारा 3(डी) की अधिसूचना जारी की गयी जिसमें अवाप्त भूमि की *किस्म बारानी-1 सिंचित* दर्ज करते हुए स्वामित्वधारी का उल्लेख किया गया। इस अधिसूचना के राजपत्र में दिनांक 7.1.2019 को प्रकाशन पर उक्त अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यान्तिक रूप से केन्द्र सरकार में निहित हो जावेगी। अधिसूचना जारी कर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर दिनांक 12.6.2019 को अवार्ड पारित कर दिया गया है। उक्त अवार्ड राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा-3ए की अधिसूचना से तीन वर्ष पूर्व में सम्पादित विक्रय विलेखों की संख्या के अधिकतम दर के आधे विक्रय पत्रों की औसत दर एवं प्रत्येक ग्राम की डीएलसी दर का संज्ञान लेते हुए बाजार मूल्य निर्धारित किये गये हैं प्रार्थीगण की अवाप्त भूमि का अवार्ड उनके पक्ष में जारी किया जा चुका है। सर्वे कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम डेकवा की भूमि ख0न0 199 रकबा 0.93 है0 में से 0.0371 एवं ख0न0 200 रकबा 0.98 है0 में से 0.4071 है0 भूमि अवाप्त की गयी है जिसमें ख0न0 199 की अवार्ड राशि 5,56,752/रु तथा ख0न0 200 की अवार्ड राशि 6,10,926/-रु हितबद्ध व्यक्तियों हनुमान पुत्र मोती व अन्य को अपने हिस्से अनुसार दी गयी है किन्तु उक्त भूमि ख0न0 199 पर लगे हुए अमरूद के 199 पौधों की अवार्ड राशि 7,58,190/-रु तथा ख0न0 200 पर लगे हुए 175 अमरूद के पौधों की अवार्ड राशि 6,66,750/-रु का भुगतान हेतु हनुमान पुत्र मोती के नाम जारी किया गया है। किन्तु उक्त परिसम्पत्ति अमरूद के पौधों का 1/2 अवार्ड राशि का भुगतान आपसी सहमति से प्रार्थी श्रीदास पुत्र जगदीश मीना को दिनांक 6.8.2021 को किया जा चुका है। चूंकि प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष उसके प्राप्त हो चुका है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत उक्त आर्बिट्रेशन प्रार्थना पत्र तथ्यहीन होने के कारण खारिज फरमाये जाने बाबत वकील अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब/बहस में निवेदन किया।


.....(2).....


(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

वकील उभय पक्षों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वाके ग्राम डेकवा भूमि ख०न० 199 रकबा 0.93 है० व ख०न० 200 रकबा 0.98 है० कुल कित्ता 2 कुल रकबा 1.91 है० भूमि का हनुमान पुत्र मोती हिस्सा 1/18, सूरजमल पुत्र जयकिशन हिस्सा 1/6, रूपनारायण पुत्र मोती, रामकन्या बेवा मोती हिस्सा 1/9, हीरा पुत्र जयकिशन हिस्सा 1/6, कन्हैया, प्रहलाद, जगदीश पिसरान गंगाराम मीना द्वारा अपने हिस्से 3/6 भाग की रजिस्ट्री प्रार्थी के हक में दिनांक 29.6.2020 की जाने के कारण उक्त भूमि का प्रार्थी खातेदार है इसलिए उक्त भूमि एवं उस पर लगे हुए 228 अमरूद के पौधों का अवार्ड हनुमान पुत्र मोती के बजाय प्रार्थी के नाम करवाने बाबत निवेदन किया है। वकील अप्रार्थी द्वारा कथन किया है कि ग्राम डेकवा की भूमि ख०न० 199 रकबा 0.93 है० में से 0.0371 एवं ख०न० 200 रकबा 0.98 है० में से 0.4071 है० भूमि अवाप्त की गयी है जिसमें ख०न० 199 की अवार्ड राशि 5,56,752/रु तथा ख०न० 200 की अवार्ड राशि 6,10,926/रु हितबद्ध व्यक्तियों हनुमान पुत्र मोती व अन्य को अपने हिस्से अनुसार दी गयी है किन्तु उक्त भूमि ख०न० 199 पर लगे हुए अमरूद के 199 पौधों की अवार्ड राशि 7,58,190/रु तथा ख०न० 200 पर लगे हुए 175 अमरूद के पौधों की अवार्ड राशि 6,66,750/रु का भुगतान हेतु हनुमान पुत्र मोती के नाम जारी किया गया है। किन्तु दिनांक 6.8.2021 को उक्त परिसम्पत्ति अमरूद के पौधों की 1/2 अवार्ड राशि का भुगतान आपसी सहमति से प्रार्थी श्रीदास पुत्र जगदीश मीना को भी किया जा चुका है। अर्थात् प्रार्थी को अपने 1/2 हिस्से की अवार्ड राशि हनुमान की आपसी सहमति से प्राप्त हो चुकी इसलिए अब प्रकरण में कोई कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत नहीं होती है। ऐसी स्थिति में सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा विधिसम्मत पारित अवार्ड में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

उक्त विवेचन के आधार प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत आर्बिट्रेशन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर प्रार्थी के पक्ष में उक्तानुसार पारित अवार्ड यथावत रखा जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.10.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया।


(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाईमाधोपुर